NPPA द्वारा दवा की कीमतों में संशोधन

स्रोत: पीआईबी

हाल ही में, **राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013** के अंतर्गत आठ औषधियों के **ग्यारह अनुसूचित फॉर्मूलेशनों** के **अधिकतम मूल्यों में 50% की वृद्धि को मंजूरी दी** है।

- **ये दवाएँ अस्थमा ,ग्लूकोमा ,थैलेसीमिया ,क्षय रोग और मानसिक स्वास्थ्य विकारों** जैसी स्थितियों के उपचार के लिये निर्धारित हैं।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):

- एनपीपीए का **गठन वर्ष 1997 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP)** के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया था।
- एक **स्वतंत्र नियामक** जो **दवाओं की कीमतें निर्धारित करता है और उनकी उपलब्धता** और पहुँच सुनिश्चित करता है।
- **इसे औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013** और **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940** से प्राधिकार प्राप्त है।
- एनपीपीए दवाइयों की कीमतों की जानकारी और सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने के लिये **'फार्मा सही दाम'** और **'फार्मा जन समाधान' प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है।**
    - फार्मा निर्माताओं से ऑनलाइन सूचना एकत्र करने के लिये **एकीकृत फार्मास्युटिकल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली 2.0 (IPDMS)** को क्रियान्वित किया जा रहा है।

और पढ़ें: भारतीय दवाओं की नियामक चुनौतियाँ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nppa-revises-drug-prices